①

पत्रांक-6/अ4-16/05 1452

झारखण्ड सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,

(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,

सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक- 11.7.2006

विषय:- झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित हेरिटेज इंटर नेशनल स्कूल, चियांकी, पलामू को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अधोलिखित शर्तों एंव बन्धेजों के अधीन स्थायी रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक-5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्तों एंव बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

1. विधालय की वार्षिक बचत आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एंव भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायगा ।

3. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।

1452
11.7.06

5. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2(दो) एकड़ एंव ग्रामीण क्षेत्र में चार एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30(तीस) वर्षों का

कृ0पृ0उ0

निबंधित पटटा/लीज पर होना चाहिए । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पायी जायगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा ।

6. गरीबी रेखा से नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिए सुरक्षित होगा । साथ ही सामान्य शुल्क का 50 (पचास) प्रतिशत शुल्क लिया जायगा ।

7. विधालय का कार्य-कलाप राष्ट्रहित में होना चाहिए । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार नैतिक तथा सरकार के सांस्कृतिक विकास हेतु साकारात्मक प्रदान करना होगा ।

8. विधालय के छात्रों की समुचित संख्या एंव उसके अनुपात में शिक्षक संख्या होना चाहिए ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एंव नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यवधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0 तथा एस0एन0 स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारु रुप से करना होगा ।

12. यदि जो संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या- 1055 दिनांक-5. 9. 2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा ।

13. उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विधालय द्वारा समर्पित कागजात एंव अभिलेख का जाली या वास्तविक स्थितिं से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे समाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है ।

1452
11.7.16

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्त एंव बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? इसकी जाँच समय पर मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड

कृ0पृ0उ0

के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था को वित्तीय एवं अकादमिक xxxxxxxxxx अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती का स्थायी कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय xxxx सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेगें उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा । अन्यथा शर्त्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कारवाई भी की जा सकेगी ।

18. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का आदेश प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

11/7/06

निदेशक,

(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड,

राँची

ज्ञापांक- 1452 / राँची, दिनांक- 11.7.06 11/7/06

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

11/7/06

निदेशक,

(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड,

राँची

ज्ञापांक- 1452 / राँची, दिनांक- 11.7.2006 11/7/06

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

1452
11.7.2006

11/7/06

निदेशक,

(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड,

राँची ।

11/7/06